"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2007—चैत्र 23, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक ई 1-2/2003/1/2.—श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एस के 1994) जिनकी सेवायें भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/27/2006-अ. भा. से. (I), दिनांक 04-01-2007 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गयी है, को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें पदेन विशेष सचिव, योजना विभाग भी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक एफ. ए-8-1/2004/1/एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जून, 2005 द्वारा जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने तथा जनसंपर्क और जनसमस्याओं के निराकरण के लिए श्री हेमचंद यादव, मंत्री, जल संसाधन, आयाकट, श्रम तथा परिवहन को बिलासपुर जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री हैमचंद यादव, मंत्री को रायगढ़ जिले का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक एफ 9-17/2004/1-8.—श्री पी. के. बीसी, (आय. एस. एस.), संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना विभाग की सेवायें तत्काल प्रभाव से भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली को वापस लौटायी जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक-एफ-1-1/2006/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंन्ट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2007 को "महावीर जयंती" के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाश को केवल छत्तीसगढ़ के कोषालयों/उप कोषालयों के लिए निरस्त करते हुए कार्यदिवस घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम-2003 की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के नियम-2 की श्रेणी-एक के अनुक्रमांक-14 जिसमें भारत रत्न से सम्मानित महानुभाव का उल्लेख है के पश्चात् एतद्द्वारा अनुक्रमांक-15 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश एवं अनुक्रमांक-16 पर केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, तथा सूचना आयुक्त अंत:स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 680/178/2007/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी (राप्रसे) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-3-2007 से 26-3-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्रीमती विभाग चौधरी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री बाजपेयी का कार्य भी संपादित करेंगी.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेयी को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक 704/165/2007/1-8/स्था.—श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, अपर मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग को दिनांक 23-2-2007 से 3-3-2007 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को अपर मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपर मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, वाणिज्य एवं उद्योग, आवास पर्यावरण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक 706/180/2007/1-8/स्था.—श्री सुधाकर सोनवाने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 9-3-2007 से 15-3-2007 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सोनवाने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधाकर सोनवाने अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक/2102/476/25-2/आजावि/2007.—आदिवासियों की सेवा और उनके आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को पुरस्कृत करने हेतु अविभाजित मध्यप्रदेश में वर्ष 1998 से स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते की स्मृति में स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा पुरस्कार की स्थापना की गई थी. स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला अंतर्गत विकास खण्ड मरवाही में होने के कारण उक्त पुरस्कार मध्यप्रदेश से स्थानांतरित कर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है.

तद्नुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते की स्मृति में स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार की स्थापना करता है. उक्त पुरस्कार आदिवासियों की सेवा और उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के दौरान आयोजित अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा. उपर्युक्त पुरस्कार के तहत चयनित संस्था को रु. 1,00,000 (रुपए एक लाख मात्र) नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक/2104/6168/426/25-1/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/डी-6168/89/2004/आजावि, दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम, 2004 जारी किया गया था. उपर्युक्त पुरस्कार नियमावली के अनुसार शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं/व्यक्तियों को दिया जाता है. पुरस्कार के तहत प्रतिवर्ष किन्हीं दो संस्थाओं/व्यक्तियों को रु. 1.00 लाख नगद प्रति संस्था/व्यक्ति पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त नियमों में आंशिक संशोधित करते हुए आदेशित करता है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया जावेगा तथा चयनित व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

3. उपर्युक्त अनुसार शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम, 2004 में जहां-जहां संस्थाओं/व्यक्तियों अंकित है के स्थान पर एक व्यक्ति पढ़ा जावे तथा संबंधित अन्य शब्दों एवं वाक्यांशों को भी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले आशय से ग्रहण किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

शुद्धि-पत्र

क्रमांक-एफ 9-65/32/06.—शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 16-01-2007 में जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ 9-65/32/2006 दिनांक 01-02-2007 के अंतिम लाईन में "यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-1) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा" के स्थान पर "यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना का भाग होगा" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक-एफ 4-3/32/2007.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उपधारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1966 के नियम 5 एवं इसकी अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट यांत्रिकी सेवायें के अनुक्रम 1 कॉलम-5 में मुख्य अभियंता (पर्यावरण) प्रथम श्रेणी के वेतनमान रुपये 14,300-400-18,300/- के स्थान पर निम्न स्थापित किया जाता है :-

संशोधन

"इस नियम की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मुख्य अभियंता (पर्यावरण)-प्रथम श्रेणी अनुक्रम के कॉलम-5 में वेतनमान रुपये 16,400-450-20,000/- होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

संशोधन

क्रमांक 1942/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम-1931 (क्रमांक-3 सन् 1931) की धारा 37 सहपठित धारा 40 एवं अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकायों, शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों को शासकीय/नैसर्गिक स्रोतों से औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आवंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जेस (Commitment Charges) के निर्धारण हेतु जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्र.-843/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 20-02-2004 में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :-

(एक) **कंडिका क्र. 5 के अंत में निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाये :-**

"यह राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर देय होगी एवं तत्काल अनुबंध करना अनिवार्य होगा अन्यथा जल आवंटन निरस्त किया जायेगा. यदि आवंटिती द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् भी, उन्हें आवंटित जल का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा उपयोग न किये जा रहे जल की मात्रा के अनुसार उनका स्वीकृत जल आवंटन कम किया जा सकेगा. जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में यह शर्त लागू नहीं होगी."

(दो) **कंडिका क्र. 8 के बाद निम्नानुसार कंडिका क्र.-9 जोड़ी जाये :-**

"कंडिका क्र.-9— जल विद्युत उत्पादन के प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुन: प्राप्ति) हेतु जल उपयोग की स्वीकृति संबंधी प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा शासकीय/नैसर्गिक स्रोत से जल उपयोग की स्वीकृति का निर्णय लिये जाने पर संबंधित संस्थान द्वारा आवंटन आदेश के पूर्व रुपये 25,000.00 (रु. पच्चीस हजार) प्रति मेगावाट की दर से कमिटमेंट चार्जेस का भुगतान जल संसाधन विभाग को किया जायेगा. तत्पश्चात् ही विभाग द्वारा जल स्वीकृति संबंधी औपचारिक अनुमति पत्र जारी किया जायेगा. यह राशि नियमित जल कर या अन्य किसी राशि में समायोजित नहीं होगी और न ही वापसी योग्य होगी. शासकीय/नैसर्गिक स्रोत से जल विद्युत गृहों को जल उपयोग की स्वीकृति के एवज में जल का उपयोग प्रारंभ करने की समय-सीमा (छूट अवधि), जल विद्युत गृह की कुल विद्युत क्षमता के अनुसार 10 मेगावाट प्रतिवर्ष तक 2 वर्ष, 10 से 25 मेगावाट प्रतिवर्ष तक 3 वर्ष एवं 25 मेगावाट प्रतिवर्ष से अधिक हेतु 4 वर्ष रहेगी. इसके साथ ही जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में निर्धारित छूट अवधि के पश्चात् भी आवंटिती द्वारा यदि शासकीय स्रोत से जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो जल विद्युत गृह की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 5 प्रतिशत अंश की जल-कर राशि प्रथम वर्ष में एवं 10 प्रतिशत अंश की जल-कर राशि दूसरे वर्ष में अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी. जल विद्युत प्रयोजन संबंधी प्रकरणों में कंडिका क्र.-4, 6, 7 एवं 8 के अनुसार निर्धारित शर्तें यथावत् रहेंगी."

2. यह संशोधन आदेश छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत सभी प्रकरणों के लिए प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-14/दो/गृह/07.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया प्रश्न पत्र-1 (बिना पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री अनिल भास्करन	वनपाल
2.	श्री राकेश चौबे	उप वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-9/दो/गृह/07.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्नपत्र लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम (पुस्तक रहित) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव	जिला पंजीयक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-13/दो/गृह/07.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "वन विधि" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री नवीद शुजाउद्दीन	आई. एफ. एस.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-29/दो/गृह/07.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश केशी	प्रबंधक/सहायक संचालक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-35/दो/गृह/07.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. इस्मत जहाँ दानी	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	श्रीमती अन्जु नायक	सहायक संचालक	उच्चस्तर
3.	श्री बालमुकुन्द तम्बोली	सहायक संचालक	उच्चस्तर
4.	श्री पवन कुमार गुप्ता	सहायक संचालक	उच्चस्तर
5.	श्री हीरालाल देवांगन	सहायक संचालक	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक 64/सं.स./सू.प्रौ. एवं जैव प्रौ./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक के सेक्शन-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिये "विभागाध्यक्ष" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 1113/डी-15/239/2006-07/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973) के अंतर्गत (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम 1997 के नियम 26 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन कृषि उपज मण्डी समिति पेन्ड्रा के कृषक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 48/5 धनौली के उप चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

(अ)	(क)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी करने तथा प्रारंभ होने का दिनांक.	26-3-2007	सोमवार
	(ख)	मतदान केन्द्र की स्थापना तथा उसका प्रचार प्रसार	02-04-2007	सोमवार
	(ग)	नामनिर्देशन करने का अंतिम दिनांक	05-04-2007	गुरुवार
	(घ)	नामनिर्देशन के संवीक्षा का दिनांक	07-04-2007	शनिवार
	(ङ)	नामनिर्देशन की वापसी का दिनांक	09-04-2007	सोमवार
	(च)	वह दिनांक जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	23-04-2007	सोमवार
	(छ)	मतगणना के लिए दिनांक	23-04-2007	सोमवार
	(ज)	सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा	25-04-2007	बुधवार

(आ) 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित्त भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पाहुरबेल प.ह.नं. 41	0.50	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मालामुण्डा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/50.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोसला प.ह.नं. 14	1.732	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	कोसला सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/211.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बासीन प.ह.नं. 3	0.085	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 6, सक्ती.	पासीद माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/06-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सुखेना	1.476	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत सुखेना एवं पहंदा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/06-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	ढोल मौहा	0.752	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत सुखेना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 7 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	कोसमन्दा प. ह. नं. 11/40	0.101	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.3, तिल्दा.	बेन्द्रीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 8 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपका प. ह. नं. 12/32	5.794	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.3, तिल्दा.	बायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 9 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	कोनी प. ह. नं. 14/31	0.648	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.3, तिल्दा.	कोनी उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक क/वा./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./14/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतालाब प. ह. नं. 104	13.727	कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक विस्तार हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक क/वा./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./17/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेजबहार प. ह. नं. 119	3.785	कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)	न्यू शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक क/वा./भू.अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./18/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सरोना प. ह. नं. 104	0.295	कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शैक्षणिक विस्तार हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक/162/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	पलाचुर	2.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं लघु नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक/165/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	खुटगांव	11.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब के दायीं नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक/168/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	दुर्गूकोन्दल	2.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब के दायीं नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक/171/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर-कांकेर	भानुप्रतापपुर	पलाचूर	1.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक/174/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भण्डारडिगी	2.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खैरपुर प. ह. नं. 14	4.354	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) रायगढ़.	उर्दना से कृष्णापुर, खैरपुर मार्ग का भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कृष्णापुर प. ह. नं. 14	2.338	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) रायगढ़.	उर्दना से कृष्णापुर, खैरपुर मार्ग का भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प. ह. नं. 15	190.049	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भेलवाटिकरा प. ह. नं. 15	28.654	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	विश्वनाथपाली	7.867	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	विश्वनाथपाली जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	परसदा	1.986	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोकनीतराई जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग	2.071	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	विश्वनाथपाली जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	शकरबोगा	0.923	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	शकरबोगा जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतमरा	0.210	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतमरा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पुसल्दा	0.680	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतमरा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जतरी	2.529	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोतमरा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अड़बहाल	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अड़बहाल जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरलिया प. ह. नं. 15	83.651	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चिरईपानी प. ह. नं. 15	10.239	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लाखा प. ह. नं. 15	155.869	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक 51.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अवरीद, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	314/1	0.049
योग	1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अवरीद माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मार्च 2007

क्रमांक/209/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-जैजैपुर, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.330 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5915/1	0.093
5918	0.080
5919, 5922	0.061
5949	0.064
5942/1	0.032
योग 5	0/330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मार्च 2007

क्रमांक 210/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नंदौरकला, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.417 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
218/1	0.028
218/5	0.102
218/4	0.024
218/3	0.028
1-2/1	0.024
5-22/2	0.030
206	0.030
205	0.012
214/1-2	0.023
230/1, 231, 232/1	0.036
230/1, 231, 232/5	0.008
230/1, 231, 232/4	0.004
230/2	0.056
4	0.012
योग 14	0.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक/140/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-चारामा

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव (स)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चारामा-हाराडुला भिलाई मार्ग के कि. मी. 24/6 पर महानदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक/143/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भिरौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
527	0.81
461	0.88
462	0.07
464	0.03
466	0.16
467	0.15
326	0.02
468	0.05
201	0.31
237	0.11
251	0.13
236	0.02
323	0.12
322	0.09
197/2	0.66
198	0.19
195/560	0.09
241	0.10
239	0.39
252	0.06
255	0.78
256/2	0.14
258	0.44
200	0.11
266	0.02
463	0.08
235	0.02
योग	6.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक/146/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजरावंड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.42
23	0.11
24	0.66
25	0.27
50/2	0.16
26	0.05
33	0.03

(1)	(2)
23	0.11
24	0.66
25	0.27
50/2	0.16
26	0.05
33	0.03
51/3	0.02
31	0.05
33/1	0.03
33/2	0.05
49	0.11
33/3	0.04
योग	2.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक/149/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-चारामा
- (ग) नगर/ग्राम-हाराडुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1252	0.02
1253	0.15
1265	0.03
योग	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चारामा-हाराडुला मार्ग कि.मी. 24/6 पर महानदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक/152/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-चारामा
- (ग) नगर/ग्राम-हाराडुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
252	0.09
253	0.03
254	0.05
255	0.05
256	0.09
257	0.06
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-हाराडुला भिलाई मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करन्दोला, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
580	0.084
578/5	0.060
578/3	0.056
578/1	0.050
396	0.044
421	0.224
योग	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (भानपुरी माइनर नं. 2).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करन्दोला, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.786 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
529/4	0.096
529/3	0.084
529/2	0.064
521/2	0.100
520	0.004
443/3	0.044
442/6	0.006
442/5	0.032
442/3	0.052
442/1	0.056
442/2	0.008
28/1	0.240
योग	0.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (भानपुरी माइनर नं. 1).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करन्दोला, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.374 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/4	0.012
217/9	0.006
217/3	0.008
214	0.160
149	0.112
146	0.064

(1)	(2)
148	0.012
योग	0.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (भानपुरी माइनर नं. 3).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.990 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1097/1	0.150
896	0.038
898	0.104
899	0.031
900	0.029
901	0.014
895/3	0.056
894	0.048
890	0.076
893	0.154
891	0.106
889	0.040
885	0.108
790	0.036
योग	0.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (कुम्हली माइनर नं. 1).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.228 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
210	0.104
108	0.120
106	0.128
88/1	0.016
88/2	0.016
88/3	0.008
68	0.080
69	0.140
67	0.020
81	0.084
76	0.076
77	0.056

(1)	(2)
79	0.008
1217	0.124
282	0.008
1214/1	0.048
1214/2	0.048
1212	0.070
830	0.074
योग	1.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (कुम्हली माइनर नं. 1).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/08/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1153	0.338
1154	0.054
1156	0.128
1155	0.032
1161	0.036
1162	0.056
1165/1	0.148
1178/1	0.224
1178/2	0.128
1175	0.170
1174	0.008
1183	0.072
835	0.076
336/3	0.036
836/2	0.036
837	0.220
841	0.216
803	0.72
434	0.008
योग	2.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (कुम्हली माइनर नं. 2).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208	0.42
211	0.12
212	0.31
214	0.03
योग	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (कुम्हली मुख्य नहर).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि के निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोरगांव, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
918	0.34
943	0.12
897	0.21
946	0.08
950/2	0.11
योग	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/29/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.510 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537	0.118
201	0.192
534	0.078
575	0.214
533	0.186
574	0.114
532/1	0.186
577	0.032
578	0.102
576	0.078
422/2	0.024

(1)	(2)
422/1	0.162
420/1	0.114
419	0.042
418	0.072
200	0.054
199	0.016
365	0.100
366	0.136
364/2	0.120
364/1	0.120
360	0.036
359	0.078
358	0.136
योग	2.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजनाएं, छोटे आमाबाल माइनर नं. 3.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किषा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/30/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केशलूर, प. ह. नं. 74
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
596	0.19
योग	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा अधिशासी अभियंता (सिविल), कार्यवाहक कमान अधिकारी, 108 सड़क इकाई, गीदम, जिला दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/30/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
615/2	0.060
622	0.120
623	0.024
625	0.156
628	0.174
629	0.135
632	0.162
636	0.207

(1)	(2)
637	0.132
योग	1.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजनाएं, छोटे आमाबाल माइनर नं. 4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/31/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.510 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
910	0.114
906	0.048
949	0.030
905	0.048
907	0.234
904	0.118
908	0.018
योग	0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजनाएं, छोटे आमाबाल माइनर नं. 4.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/32/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.535 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
493	0.20
488/4	0.105
68	0.110
483	0.135
468/1	0.076
459	0.042
465	0.010
462	0.135
460	0.034
463	0.042
92	0.072
91	0.066
95	0.126
101	0.276
462	0.058
82/1	0.112
82/2	0.110
81	0.216
59/1	0.186
52	0.096
51	0.150
44	0.166
507	0.012
योग	2.535

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा जलाशय परियोजना (आमाबाल माइनर नं. 1 एवं 2).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक 1/(ए)/2/नवम/(1)/2007/1150.—मैं नारायण सिंह, श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473/7258/16 दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा-40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारिणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

अ. क्र.	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	श्रीमती मंजूलता कुर्रे	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	कु. जयंती उरांव	

नारायण सिंह,
श्रमायुक्त.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 56 प्रावधान के अन्तर्गत

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्रमांक/औकाफ/585/2007.—यहां पर अधिसूचना के अनुसार आम जनता से संबंधित है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत वक्फ के संबंध में अचल सम्पत्तियों के लीज पर दिये जाने वाले उक्त सम्पत्ति अनुसूची-1 से संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर अपने प्रस्ताव/अनुमोदन क्र. 20 दिनांक 05-11-06 एवं 12 दिनांक 28-01-07 के तहत किया जाता है.

अनुसूची-1

क्र.	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल
1.	वक्फ सम्पत्ति ग्राम-भड़हा, प. ह. नं.-46, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर.	रिक्त भूमि 103.513 हेक्टर 255.79 एकड़

उपरोक्त भूमि के लीज पर दिये जाने संबंध में निम्नांकित शर्तें एवं अर्हताएं हैं :—

1. प्रति भागीदारी को रुपये 5 लाख का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बैंक का हो जिसे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम से भुगतान करना होगा.

2. किराया नामा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 56 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए निष्पादित किया जायेगा.

3. वक्फ सम्पत्ति का विकास करने में जो भी व्यय होगा वह किरायेदार को ही वहन करना होगा.

4. किराये नामे की समस्त शर्तें किरायेदार पर बंधनकारी होगी जिसकी प्रतिलिपि कार्यालय से उपलब्ध की जावेगी.

5. कार्यालय द्वारा जारी नोटिस को किरायेदार द्वारा प्राप्ति के पश्चात् 30 दिन में भूमि को रिक्त करना अनिवार्य होगा.

6. वक्फ बोर्ड के बिना अनुमति के किरायेदार भूमि में खुदाई आदि निर्माण कार्य नहीं करेंगे.

7. उपरोक्त प्रक्रिया के लिये अंतिम रूप से अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्षम होंगे.

8. राशि नगदी अथवा चेक से स्वीकार नहीं होगा.

एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th March 2007

No. 118/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Divisions mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Radha Kishan Agrawal, Officer-on-Special Duty, High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2007

क्रमांक 1576/तीन-6-6/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना क्रमांक 5021 तीन-6-7/2005 दिनांक 19 अक्टूबर 2005 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर की अधिसूचना संख्या क्र. 1411/250/21-बी/सी. जी./07 दिनांक 07 फरवरी 2007 के द्वारा,—

1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944.
2. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992.
3. कम्पनी अधिनियम, 1956.

4. धनकर अधिनियम, 1957.
5. दानकर अधिनियम, 1958.
6. आयकर अधिनियम, 1961.
7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962.
8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963.
9. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964.
10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, एवं
11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973.

के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए स्थापित विशेष मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में निर्दिष्ट न्यायिक मैजिस्ट्रेटगण को उनके मूल अधिकारिता सहित, स्तम्भ क्रमांक (3) में निर्दिष्ट मुख्यालयों पर स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर (जगदलपुर)
2.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर
3.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	बिलासपुर	बिलासपुर
4.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
5.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
6.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	दुर्ग	दुर्ग
7.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	जशपुर	जशपुर
8.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	कवर्धा	कबीरधाम कवर्धा
9.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	कोरबा	कोरबा
10.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	रायगढ़	रायगढ़
11.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	रायपुर	रायपुर
12.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	धमतरी	धमतरी
13.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	महासमुंद	महासमुंद
14.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	राजनांदगांव	राजनांदगांव
15.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	सरगुजा (अंबिकापुर)	सरगुजा (अंबिकापुर)
16.	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)

Bilaspur, the 13th March 2007

No. 1576/III-6-6/2001.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in Supersession of its Notification No. 5021/III-6-7/2005, dated 19th October 2005 the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Chief Judicial Magistrates specified in Column No. (2) of the Schedule below as Presiding Officers of the Courts of Special Chief Judicial Magistrates established by the Government of Chhattisgarh under the proviso to Sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 1411/250/XXI-B/C. G./07 dated 07th February, 2007 with their head quarters specified in the corresponding entry in Column No. (3) for the area specified in the corresponding entry in column No. (3) for the area specied in Column No. (4) of the Schedule from the date they assume charge of their offices, alongwith their original jurisdiction, for the trial of cases relating to the offences punishable under :-

1. The Central Excise and Salt Act, 1944:

2. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
3. The Companies Act. 1956.
4. The Wealth Tax Act, 1957.
5. The Gift Tax Act, 1958.
6. The Income Tax Act, 1961.
7. The Customs Act, 1962.
8. The Export (Quality Control land inspection) Act, 1963.
9. The Companies (Profits) Surtax Act, 1964.
10. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, and
11. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

TABLE

S. No. (1)	Name of the Presiding Officer of the Special Court (2)	Head Quarter (3)	Local Area (Civil Districts) (4)
1.	Chief Judicial Magistrate	Bastar (Jagdalpur)	Bastar (Jagdalpur)
2.	Chief Judicial Magistrate	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)
3.	Chief Judicial Magistrate	Bilaspur	Bilaspur
4.	Chief Judicial Magistrate	Janjgir	Janjgir-Champa
5.	Chief Judicial Magistrate	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)
6.	Chief Judicial Magistrate	Durg	Durg
7.	Chief Judicial Magistrate	Jashpur	Jashpur
8.	Chief Judicial Magistrate	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)
9.	Chief Judicial Magistrate	Korba	Korba
10.	Chief Judicial Magistrate	Raigarh	Raigarh
11.	Chief Judicial Magistrate	Raipur	Raipur
12.	Chief Judicial Magistrate	Dhamtari	Dhamtari
13.	Chief Judicial Magistrate	Mahasamund	Mahasamund
14.	Chief Judicial Magistrate	Rajnandgaon	Rajnandgaon
15.	Chief Judicial Magistrate	Surguja (Ambikapur)	Surguja (Ambikapur)
16.	Chief Judicial Magistrate	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur)

बिलासपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक 2032/तीन-10-8/2000-भाग-4.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4671/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1	बस्तर	1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव

(1)	(2)	(3)
16	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

Bilaspur, the 24th March 2007

No. 2032/III-10-8/2000 (Part-IV).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court, Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 4671/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1	Bastar	1. Jagdalpur 2. Kondagaon
16	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

Bilaspur, the 24th March 2007

No. 143/Confdl./2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV).—The following Additional District Judge, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, IV Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).	Jagdalpur	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).
2.	Shri K. Vinod Kujur, II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).	Kanker	Bhanupratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge (F. T. C.).

Bilaspur, the 28th March 2007

No. 146/Confdl./2007/II-3-14/2000.—On the application of Smt. Shraddha Singh, IV Civil Judge Class-II, Bilaspur, for change of her name, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Shraddha Aakash Shrivastava". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

By order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.